नेशनल सीड्स कॉर्पीरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) सीआईएन नo-यू74899डीएल1963जीओआई003913 बीज़ भवन, पूसा परिसर नई दिल्ली-110 012 **National Seeds Corporation Ltd**

(A Govt. Of India Undertaking)
CIN No: U74899DL1963GOI003913
Beej Bhawan, Pusa Complex,
New Delhi-110 012

संख्याः गु०नि०(17)/एनएससी- मुख्यालय /2018-19 | 370

दिनांक 25-09-2018

समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक/फार्म प्रमुख महोदय,

यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न चरणों पर बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिये उचित कदम नहीं उठाये जा रहे हैं, जिसके कारण ग्राहकों से कम अंकुरण, खराब भौतिक गुणवत्ता, कीट क्षति, कम वजन, प्रज्ञातीय मिश्रण आदि की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। किसानों को आपूर्ति किए गए खराब गुणवत्ता वाले बीजों की शिकायतों के कारण निगम को कानूनी कार्यवाहियों के लिए अनावश्यक भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है, परिणामस्वरूप किसान/डीलर्स एनएससी से दूर हो रहे हैं और निगम की छवि खराब हो रही है। वर्तमान में पूरे देश में इस प्रकार के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य किसानों को उचित दरों पर गुणवत्ता बीज उपलब्ध करवाना है। इसलिए इस तरह की शिकायतों से बचने और बीज की गुणवत्ता को बनाए रखने, बीजों को कंडम होने से बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। गुणवत्ता विभाग द्वारा इस प्रकार के दिशानिर्देश इससे पूर्व भी जारी किए जा चुके हैं-

(1) फील्ड/उत्पादन चरण के दौरान: -

- क) प्रयास यह किया जाये कि एक स्थान पर संपूर्ण बीज प्रक्षेत्र एक प्रजाति के अंतर्गत हो तथा एक ही श्रेणी एवं वर्ग का हो।
- ख) बीज प्रक्षेत्र में मिश्रित फसलें न बोई जाए।
- ग) सीड ड्रिल से बुवाई करने की अवस्था में, बुवाई के समय प्रजातीय मिश्रण से बचाव के लिए बुवाई पूर्व समुचित सफाई नितान्त आवश्यक है।
- घ) ब्वाई उचित तरीके से की जाए ताकि क्षेत्र निरीक्षण बिना किसी कठिनाई के किया जा सके।
- डं) आधारीय बीजों के उत्पादन में निगम के केन्द्रीय राज्य फार्मी, कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य कृषि फार्मी एवं प्रगतिशील बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जाए ताकि वांछित स्तर तक रोगिंग हो सके तथा उच्च ग्णवत्ता वाले बीजों का उत्पादन संभव हो सके।
- च) फार्म / क्षेत्रीय कार्यालय / प्रक्षेत्र कार्यालय/उत्पादन केंद्र स्तर पर बीज निर्देशिका / बीज उत्पादन रजिस्टर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- छ) आवश्यक फ़ील्ड निरीक्षण IMSCS -2013 के अनुसार उचित समय/महत्वपूर्ण चरणों पर किए जाने चाहिए।
- ज) फ़ील्ड निरीक्षण करने वाले निरीक्षक को, बीज प्रक्षेत्र में लिए जाने वाले काउंट के साथ-साथ बीज मानकों, संबंधित किस्मों की रूपात्मक (Morphology) विशेषताओं की जानकारी होनी चाहिए।
- झ) क्षेत्रीय प्रबंधक/ फार्म प्रमुख को गुणवत्ता नियंत्रण जांच की योजना बनाना सुनिश्चित करना चाहिए और क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा फील्ड निरीक्षण के 10% आधारीय बीज एवं 5% प्रमाणित बीज, क्षेत्र का औचक निरीक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए।
- ज) क्षेत्र निरीक्षण के समय प्रथक्करण दूरी, ऑफ-टाइप प्लांट्स, आपत्तिजनक खरपतवार और आपत्तिजनक बीमारियों आदि जैसे सभी मानको को ध्यान में रखकर निरीक्षण किया जाना चाहिए।

- ट) संबंधित राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के प्रतिनिधियों के साथ ही क्षेत्र निरीक्षण करने का प्रयास करें।
- ठ) कम्बाईन मशीन से बीज फसल की कटाई करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि एक समय में केवल एक फसल/किस्म की कटाई की जाए। मैकेनिकल मिश्रण से बचने के लिए दूसरी फसल/बीज किस्म प्लाट बदलने से पहले कम्बाईन मशीन व इसके कलपुर्जों को समुचित रूप से साफ कर लेना चाहिए, तथा सुनिश्चित कर लेना चाहिए, कि पूर्व में कटाई की गयी फसल का कोई भी बीज न रह जाये।

(2) खलिहान स्तर पर

- क) बीजों की थ्रेशिंग का कार्य इस प्रकार किया जाये कि एक प्रजाति के बीजों का दूसरी प्रजाति के बीजों में मिश्रण न होने पाए।
- ख) बीज को बोरों में भरने से पूर्व, बोरों के नए न होने की दशा में पलटकर झाड़ लें एवं सुनिश्चित कर ले कि उन बोरों में किसी प्रकार के अन्य किसी फसल/प्रजाति /खरपतवार एवं पूर्व सत्र के दाने न रहने पाएं।
- ग) पुरानी पैकिंग सामग्री जो असंसाधित (रॉ) बीज को भरने के लिए इस्तेमाल की जानी है, कीट और बीमारियों से मुक्त होनी चाहिए।
- घ) बोरों में भरने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि बीज वांछित/निर्धारित सीमा तक सूखा है।

(3) रॉ सीड इंटेक, विधायन एवं पैकिंग के समय: -

- क) अंतिम क्षेत्र निरीक्षण के बाद बीज उत्पादकों को पत्र जारी करें जिसमें अंतिम एफआईआर में दिखाए गए अनुमानित उपज के अनुसार रॉ सीड की मात्रा एवं रॉ बीज लाने की तारीख आवश्यक रूप से दर्शायी गई हो।
- ख) रॉ बीज को स्टोर करने से पहले गोदामों और प्रसंस्करण संयंत्रों को अच्छी तरह से साफ कर लें एवं कीटनाशक के साथ स्प्रे / इस्टिंग करा लें।
- ग) रॉ बीज के इंटेक के समय पूर्ण रूप से जागरूक रहें, खराब लस्चर, कीट ग्रस्त, बरसात से खराब गुणवत्ता, अन्य मिश्रित किस्मों और बीमारी आदि से ग्रस्त बीजों का इंटेक न करें। प्रसंस्करण संयंत्र / गोदामों में केवल अच्छी गुणवत्ता वाले रॉ बीजों का इंटेक किया जाना चाहिए।
- घ) जो बीज लॉट, फील्ड स्तर पर अवमानक पाये गए हों, उन बीजो लॉटों को स्वीकार न करें।
- ङ) अगर बीज उत्पादक द्वारा प्रसंस्करण संयंत्र पर लाये गए रॉ बीज के लॉट में निर्धारित नमी मानकों से अधिक नमी पाई जाती है एवं बीज का लस्चर खराब है अथवा पानी से भीगा हुआ है तो बीज का इंटेक न कराया जाए।
- च) रॉ बीज का फसल/किस्म और वर्गवार रिकार्ड निर्धारित रजिस्टर में यथोचित विधि से अंकित किया जाना चाहिए।
- छ) पहचान चिहन / लॉट संख्या आदि रॉ बीज की प्राप्ति के दौरान उत्पादक को दिया जाना चाहिए और रॉ बीज की प्राप्ति के तुरंत बाद ही बीज निर्देशिका में प्रविष्टियां की जानी चाहिए।
- ज) यदि संभव हो तो बीज का विधायन (Processing) उत्पादकों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाना स्निश्चित करें ।
- झ) अनुशंसित स्क्रीनें ही विधायन मशीनों में लगाई जानी चाहिए।
- ज) दैनिक कार्य रजिस्टर में प्रसंस्करण कार्य की शिफ्टवार प्रविष्टियां की जानी चाहिए।
- ट) विधायन संयंत्र प्रभारी को प्रति एक घंटे बाद यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्रुशों का छलनियों से समायोजन उचित है अथवा नहीं, ताकि बीजों को सही तरह से छानने की मशीन की क्षमता को बनाये रखा जा सके।

- ठ) विधायन के दौरान समय-समय पर वज़न, निष्क्रिय पदार्थ, नमी प्रतिशत, अंडरसाइज प्रतिशत, अन्य फसल बीज, बीमारी से प्रभावित बीज और अन्य किस्मों के बीज आदि की जाँच की जानी चाहिए और गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर में एंट्री की जानी चाहिए।
- ड) विधायन किए गये बीज में यह ध्यान देना चाहिए, कि अंडर साइज़ बीज 5% से अधिक नहीं हो
- ढ) कम्पोजिट नमूना तैयार करने हेतु एसटीएल और क्यूसीएल में जांच के लिए नमूने भेजते समय प्रत्येक बैग से ग्रेडेड बीज का मुद्दी भर नमूना एकत्र किया जाना चाहिए और गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों के अन्रूप अनुपालन करना चाहिए।
- ण) किस्मों के मिश्रण से बचने के लिए एक लॉट/किस्म के पूरा होने के बाद फर्श को पूरी तरह से साफ किया जाना चाहिए और प्रसंस्करण हेतु दूसरा लॉट लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी मशीनें व उनके कलपूर्जें भी पूर्णतः साफ है। बीज को अनुशंसित मशीनों यानी इंडेंट सिलेंडर/स्पाइरल /ग्रेविटी सेपरेटर आदि पर संशाधित किया जाना चाहिए।
- त) "प्रोसेसिंग पूरा करने के बाद, अव-मानक बीज तुरंत किसानों को वापस लौटाया जाए, निगम प्रक्रिया के अनुसार, ग्रोवरों को अग्रिम भुगतान की गई राशि तुरंत वसूली के लिए कार्रवाई किया जाए"
- थ) थैलों में संसाधित बीज की सही मात्रा भरी जाए। टैंक में आटोमेटिक सेट स्थापित होने की दशा में प्रत्येक 15-20 थैलों का वजन के उपरान्त तुलाई मशीन अथवा तिपाई वाले तोल काटें से अथवा तुला यंत्र से जाँच लिया जाना चाहिए।
- द) विधायन संयंत्र प्रभारी के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि बैग, टैग एवं लेवल पर अंकित सभी कॉलम/जानकारी सही तरह से भरी/सिली/सील बंद की गई हैं एवं प्रभारी के पदनाम की मुहर एवं हस्ताक्षर किए गये हैं (पुनर्लेखन से बचे) ताकि बीज खरीददार को यह संदेह न हो, कि यह अनाधिकृत बीज है।

(4) <u>भंडारण के दौरान: -</u>

- क) विधायन के उपरान्त बीजों को उपयुक्त गोदाम में भंडारित किया जाए।
- ख) बीज भंडारण गोदाम में कीड़ों/कीटों से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए स्टोर की स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण पहल्ओं में से एक है।
- ग) जिस गोदाम में बीज भंडारित करने हों उसमें बीज के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु, विशेष रूप से रासायनिक खाद आदि का भंडारण न किया जाए।
- घ) गोदाम एयरटाइट हो, गोदाम की प्लिंथ जमीन से ऊंची हो और हवादार एवं सीलन से मुक्त हो।
- ङ) गोदाम में बीजों के भंडारण हेतु लकड़ी/एचडीपीई/लोहे की पैलेटो का प्रयोग किया जाए। अपिरहार्य पिरस्थितियों में यदि फर्श पर चटाइयों का प्रयोग करना पड़े तो चटाइयों पर पालीथिन की दोहरी तह बिछाने के उपरान्त ही उस पर बीजों का चट्टा लगाया जाए ताकि जमीन की नमी से बचाव किया जा सके।
- च) गोदाम में घोघें तथा अन्य किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए।
- छ) बीज भंडारण परिसर की गहनता से सम्चित व नियमित सफाई करनी चाहिए।
- ज) जीवित कीट और पंतगों को नष्ट करने के लिए मकड़ी के जाले, गंदगी, मलबे, स्पिल्ज सीड इत्यादि को एकत्रित करके जला या दफना देना चाहिए।
- झ) यदि संभव हो तो, वर्ष में एक बार गोदाम की पुताई करवानी चाहिए।
- ज) बिखरे हुए बीज को तत्काल हटा देना चाहिए क्योंकि यह न केवल रेंगने वाले कीड़ों, जो संक्रमण फैला सकते हैं और अपने अंडे दे सकते हैं, को आकर्षित करता है बल्कि मैकेनिकल मिश्रण का कारण भी बन सकता है।

- ट) बीज भंडारण के पूर्व गोदाम के फर्श, दीवार तथा छत पर कीटनाशक दवाओं का घोल बनाकर छिड़काव कराएं।
- ठ) गोदाम की दीवार व बीज स्टॉक के बीच 2 फुट की दूरी होनी चाहिए। चट्टे से चट्टे की दूरी 3 फुट रखी जाए।
- ड) अलग-अलग प्रजातियों एवं अलग-अलग साइज के थैलों के चट्टे अलग-अलग लगाए जाएं।
- ढ) प्रत्येक चट्टे पर स्टॉक कार्ड लगा होना चाहिए एवं स्टॉक कार्ड पर बने हुए सभी कॉलम पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए।
- ण) थैलों का मृंह अंदर की ओर रखा जाए।
- त) यदि गोदाम हवाबंद (एयरटाईट) नहीं है तो बीज के चट्टों पर धुमीकरण कवर द्वारा करवाना चाहिए। धूमीकरण के समय पूरी तरह से मानव सुरक्षात्मक उपकरण जैसे दस्ताने, मास्क और यूनिफार्म पहननी चाहिए।
- थ) बरसात के दौरान जब वातावरण में नमी अधिक होती हैं तब धुमीकरण से बचना चाहिए।
- द) धुमीकरण के उपरान्त गोदाम के दरवाजों/ खिड़िकयों अथवा धुमीकरण कवर के चारों ओर उपयुक्ततानुसार गिली मिट्टी का प्रयोग करें तािक गैस का बाहर रिसाव न हो सके। धूमीकरण की पूरी कार्यवाही 20 मिनट में समाप्त हो जानी चािहए। धूमीकरण के उपरान्त गोदाम को अथवा चट्टों को कम से कम 72 घण्टे तक सामान्य वायुमंडलीय दाब (एनएपी) व सामान्य वायुमंडलीय तापमान पर बंद रखना चािहए। साफ मौसम में ही गोदाम खोलें तथा कम से कम 4 घण्टे तक सभी दरवाजों एवं खिड़िकयों को खुला रखने के उपरान्त ही गोदाम में घुसना चािहए।
- ध) साफ मौसम में गोदाम का समय-समय पर निरीक्षण किया जाये, एवं थैलों से थोड़ा नमूना निकाल कर बीज की अवस्था की जाँच की जानी चाहिये,थैलों की सिलाई के पार उंगलियों से रगड़कर जाँच करें कि उसके ऊपर कीड़ों के अंडे तो नहीं हैं।
- न) कीड़े दिखाई देने कि स्थिति में धूमीकरण करें तथा एक माह पश्चात पुन: गोदाम का धुमीकरण करें। प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर स्प्रे करना चाहिए। विशेष धुमीकरण जुलाई मध्य से सितंबर मध्य में करना चाहिए क्योंकि कीटों का प्रकोप इस अविध में चरम पर होता है। धूमीकरण (फ्यूमिगेसन) बीज की सुरक्षित नमी जो 12% से ज्यादा न हो, अगर बीज की नमी 12% से ज्यादा हो तो उसे स्खाकर जबतक 12% तक नमी न हो तबतक धूमीकरम न करें।
- म) आदर्श परिस्थितियों में (शुष्क और ठंडी स्थितियों) बीज की लंबी आयु बढ़ाने के लिए, भंडारण के लिए निर्धारित बीज का जीवन जिसमें तापमान लगभग 15-18°C (60-65°F) और आरएच 30-40% के आसपास भंडारण अविध में बनाए रखा जा सकता है। यह एक अंगूठे नियम द्वारा शासित है। बेहतर भंडारण के लिए किसी भी समय temp°F+RH%, 100± 5-10% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- प्) बिक्री सीजन की समाप्ति के बाद बचे शेष स्टॉक के बीजों की वैधता अविध समाप्त होने के पूर्व अथवा बिक्री सीजन के शुरू होने के पूर्व ही बीजों का पूनः वैधिकरण का कार्य पूर्ण कर लें।
- फ) बीजों के जो लॉट पुनः वैधिकरण में अवमानक हो गये हों उनके शीघ्र निस्तारण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
- ब) मुख्यालय से अवमानक बीज के निस्तारण की अनुमित प्राप्त होने के उपरांत निगम के नियमानुसार उसका शीघ्र ही निस्तारण सुनिश्चित करें।
- भ) कंडम (अबीज़) एवं फ़्रेश व पैक्ड बीज अलग-अलग स्थान पर भंडारित करें ताकि आपस में किसी भी प्रकार के संक्रमण की संभावना न रहे।

(5) बीज डिस्पैच और बीज की प्राप्ति के समय :-

- क) बीज डिस्पैच से पहले स्टॉक का भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित करें और सीपीआई तैयार करें और इसे तत्काल संबंधित अधिकारी को भेजें।
- ख) सुनिश्चित करें, कि बीज का भौतिक परीक्षण बीज प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर कर लिया जाए तथा तत्पश्चात और सीपीई तैयार करें व संबंधित अधिकारी को भेजें।
- ग) अगर बीज की गुणवत्ता को सुधारने के लिये धूमीकरण, शुष्कन प्रक्रिया, पुन: सफाई आदि की आवश्यकता है तो खराब गुणवत्ता की शिकायतों से बचने के लिए यह तुरंत किया जाना चाहिए।
- घ) किसी भी प्रकार/किस्म के बीज की विक्री से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस प्रकार की किस्म किसी विशेष राज्य या क्षेत्र या सीजन के लिए उपयुक्त / अनुसंशित है ताकि नॉन-फ्लावरिंग और नॉन-फूटिंग (अफूलन व अफलन) की समस्या से बचा जा सके।
- ङ) अधिकृत डीलर को माल के प्रेषण के संबंध में दस्तावेज भी फाइल में रखा जाना चाहिए।
- च) यदि किसान या अन्य उपयोगकर्ता से कोई शिकायत प्राप्त की जाती है, तो किसान के क्षेत्र का त्रिपक्षीय निरीक्षण इकाई प्रतिनिधि, संबंधित किसान और जिला कृषि अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा किया जाना चाहिए। रिपोर्ट की प्रति फ़ाइल में रखी जानी चाहिए।
- छ) इसके अलावा, किसान या शिकायतकर्ता को अधिकृत डीलर द्वारा जारी चालान की प्रति तैयार करने के लिए कहा जाना चाहिए
- ज) कानूनी नोटिस विधिवत जवाब दिया जाना चाहिए।
- झ) आरओ / एओ / फार्मों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतकर्ता द्वारा दोषग्रस्त होने वाले आरोपों (बीजों) के प्रयोगशाला परीक्षण के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के एस 13 (1) सी के अनुपालन के लिए माननीय डीसीएफ की अनुमित से उनके वकील द्वारा आवेदन दायर किया जा सके। । यदि शिकायतकर्ता किसान ने नमूना नहीं रखा है, तो एनएससी द्वारा रखे गए उसी नमूने को डीसीएफ की अनुमित के साथ प्रयोगशाला में भेजा जा सकता है। सीपीए के एस.13 (1) सी की प्रतिलिपि पिछले पृष्ठ पर दर्शायी गई है ।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, फार्म प्रमुख यह सुनिश्चित करें, कि गुण नियंत्रण विभाग द्वारा उपरोक्त जारी किए गए दिशा-निर्देशों का समुचित पालन, सभी संबंधितों द्वारा किया जाये ।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमति से जारी किया जा रहा है।

अनुपालन के लिए प्रतिलिपि

1- सभी क्षेत्रीय प्रबंधक / निदेशक फार्मस

अपर महा प्रबंधक (गुःनिः)

प्रति- सूचनार्थ

- 1. वरिष्ठ महा प्रबन्धक (उत्पादन), एनएससी नई दिल्ली।
- 2. वरिष्ठ महा प्रबन्धक (वित्त), एनएससी नई दिल्ली।
- 3. वरिष्ठ महा प्रबन्धक (माः संः), एनएससी नई दिल्ली।
- 4. अपर महा प्रबन्धक (विपणन), एनएससी नई दिल्ली।
- 5. अपर महा प्रबन्धक (मा॰सं॰), एनएससी नई दिल्ली।
- 6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, एनएससी नई दिल्ली।
- 7. कम्पनी सचिव, एनएससी नई दिल्ली।
- 8. निदेशक (वित्त) के निजी सचिव को सादर सूचनार्थ।
- 9- अध्यक्ष-सह निदेशक महोदय के निजी सचिव को सादर सूचनार्थ।

Central Government Act

Section 13(1)(c) in the Consumer Protection Act, 1986

(c) where the complaint alleges a defect in the goods which cannot be determined without proper analysis or test of the goods, the District Forum shall obtain a sample of the goods from the complainant, seal it and authenticate it in the manner prescribed and refer the sample so sealed to the appropriate laboratory along with a direction that such laboratory make an analysis or test, whichever may be necessary, with a view to finding out whether such goods suffer from any defect alleged in the complaint or from any other defect and to report its findings thereon to the District Forum within a period of forty-five days of the receipt of the reference or within such extended period as may be granted by the District Forum;

नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम) सीआईएन न०-यू74899डीएल1963जीओआई003913 बीज़ भवन, पूसा परिसर नई दिल्ली-110 012 **National Seeds Corporation Ltd**

(A Govt. Of India Undertaking)
CIN No: U74899DL1963GOI003913
Beej Bhawan, Pusa Complex,
New Delhi-110 012

No QC (17) / NSC- HQ / 2018-19 / 370

Dated: 25-09-2018

CIRCULAR

It has come to the notice of HO that proper steps are not being taken to maintain the quality of the seed at different stages, due to which many complaints are being received from the customers about low germination, poor physical quality, insect/pest damage, under weight, varietal admixture etc. In view of complaints of poor quality seeds supplied to the farmers, the corporation has to face unnecessarily heavy financial loss because of legal cases. As a result farmers/dealers are diverting from NSC and ultimately causing bad image of corporation. At present it is has been observed a significant increase in such type of complaints across the country. As you all aware that the main objective of The Corporation is to provide quality seeds to the farmers at reasonable rates. Therefore, to avoid such complaints and to maintain the quality of seed, the following steps should be taken in order to avoid complaints and minimize seed condemnation on account of failure of lots, in case of our own farms. Such type of guidelines had already been issued by the Quality Control Division in the past-

(1) During field level / Production phase: -

- a. Seed production of one variety should be in one place for all class and stage.
- b. Avoid mixed cropping in the seed production plot.
- c. In case of sowing of seed by seed drill, proper cleaning is required before starting sowing to avoid varietal admixture at the time of sowing.
- d. Sowing should be done in proper manner so that field inspections may be done without any difficulties.
- e. Priority should be given to own CSF, Agricultural Universities, State Agricultural Farms and progressive seed producers in the production of Breeder seeds so that rouging can be done to the desired level and produce high quality seeds.
- f. The seed directory / seed production register should be made and maintained at the Farm / Regional office / Area office level/ Production Centre.
- g. Required field inspection should be done at the appropriate time/critical stages in accordance with IMSCS-2013.
- h. Inspecting officer should be aware of the field as well as seed standards, morphological characteristics of concerned variety before taking counts of seed plots.
- The Regional Manager / Director Farm should ensure the planning of quality control checks and the Regional Office should arrange cross check field inspection of 10% Breeder seed and 5% certified seed area under seed production.
- j. All parameters like isolation distance, off-type plants, objectionable weed and objectionable diseases should be taken during the field inspection.
- k. Try to inspect the area with the representatives of the respective State Seed Certification Agency.
- I. While harvesting seed crop by combine machine, it should be ensured that only one crop/variety is harvested at one time, combine machine and

its parts should also be cleaned thoroughly at the time of changing of another crop/ variety seed plot to avoid mechanical mixing.

(2) At the Barn/Stackyard level

- a. Threshing of seeds should be done in such a way that the seeds of one species cannot be mixed in other species seeds.
- b. Before filling the seed in the bags, flip it over if bags are old and make sure that the seeds of any other type of crop / species / weed and previous season seeds are not present in the bags.
- c. All old packing material which is to be used for filling of raw seed should be free from insect/pests and diseases.
- d. Before filling the seed in bags, ensure that the seeds are dried to the desired / fixed limit.

(3) Raw seed intake, Processing and Packing time

- a. Issue the letter to the seed producers/growers after the final field inspection, in which according to the estimated yields shown in the final FIR, the date of the induction of raw seed along with quantity is shown as necessary.
- b. Before storing raw seeds, clean the warehouses and processing plants and do spray / dusting with required pesticides.
- c. Be fully aware during the intake of raw seeds, do not allow intake of seeds with poor lustre, affected by insect pest, rain damaged, poor physical quality, admixture with other varieties and diseases etc. In the processing plant/ godowns only good quality RAW seed should be accepted for intake.
- d. Do not accept the seeds of the lot that are found below field's standard at field level.
- e. If the moisture content in the raw seeds, which is brought by the seed grower or producer at the processing plant is found higher than the standards and the lustre of the seed is bad, whether it is casualty is soaked with water then the seed intake should not be done.
- f. The detailed record of raw seed, crop/ variety and class wise in prescribed register, should be maintained in proper manner.
- g. Identity marks / lot numbers etc. should be given to the producer during the acquisition of raw seed and entries should be made in the seed directory immediately after getting the raw seed.
- h. If possible, seed should be processed in the presence of growers / their representatives in order to avoid any complaints.
- i. Recommended screens should be fitted in the processing machines.
- Shift-wise entries of processing work should be made in the daily work register.
- k. The Processing Plant Incharge should ensure that whether adjustment of brushes is appropriate or not, the checking should be done after an hour so that the capacity of processing machine for properly grading the seeds can be maintained.
- I. During the processing, weight, inert matter, moisture percentage, undersize percentage, other crop seeds, seeds affected from diseases and other varieties should be checked and made entry in Quality Control Register.
- m. In the graded seed the under-size seeds should be minimum as for as possible but not exceeded 5% in any case.

- n. While drawing samples for testing in STL or QCL, a handful samples should be collected from graded seed of each bag in order to make composite sample and follow procedure as per QC norms.
- o. To avoid the varietal mixture, the entire floor area should be properly cleaned with special reference to seed as well as impurity and after completion of a lot of crop/ variety and taking another lot for processing, it should be ensured that all machines and their parts should also be cleaned completely. Seed must be processed on recommended machines i.e. Precleaner / Grader/ Indent cylinder / Spiral / Gravity separator etc.
- p. "After Completion of processing, the sub-standard seeds to be returned to the farmers immediately, as per corporation procedure and action to be taken for recovery of growers advance at once."
- q. Proper quantity of processed seeds should be filled in bags. In case of automatic set of tanks, the weight of every 15-20 bags should be taken from the Avery Weighing Machine or Tripod Bole or Weighing Machine.
- r. Plant Incharge should ensure that the information in all columns of the bag, tag and label is correctly filled/ stitched/ sealed and the name of Incharge has been stamped and signed to avoid rewriting/ overwriting so that the seed purchaser shall not suspect that this is an unauthorized seed.
- s. Certificate of Certification from SSCA should be obtained lot wise and kept in concerned file.

(4) During storage

- a. After the processing, the seeds should be stored in the suitable storage.
- b. Hygiene of store is one of the most important aspects for ensuring freedom from insects/ pests inside the seed godown.
- c. In the warehouse where the seeds are to be stored, no other item other than the seeds should be stored. Especially the fertilizers, should not be stored.
- d. The warehouse should be air tight and plinth of the warehouse is higher than the ground and should be proper ventilated.
- e. Wooden/ HDPE/ Iron pallets should be used for storage of seeds in the warehouse. If palates are not available then the mats have to be used on the floor, mats should be covered from double fold of polythene, then the seeds should be staked on it so as to prevent moisture from the floor.
- f. There should be no snails and other types of dirt in the warehouse.
- g. Thorough cleaning of seed store premises should be done rigorously and regularly.
- h. Web, dirt, debris, spillage etc should be collected and burnt or buried to destroy surviving insects and pests.
- i. If possible, white wash the storage once in a year.
- j. Spilled seed should immediately be removed because it not only attracts crawling insects that may infest and lay their eggs but may become the cause of mechanical mixing.
- k. Before storage of seed in the seed store, a spray of suitable insecticide/pesticide may be done on the warehouse floor, walls and roof.
- I. A 2 feet gap should be maintained between the seed stock and wall of seed store. The distance between two stacks should be kept 3 feet.
- m. Separate stack should be made for different varieties and for different packing size stocks.
- n. The stock card should be attached on each stack and all the columns made on the stock card should be completely filled.
- o. Keep the mouths of the bags inwards.

- p. In case if godown is not airtight then fumigation should be done by fumigation cover on seed stacks. Wear complete personal protective equipment like gloves, mask and uniform during setting up and degassing.
- q. Fumigation must be avoided during rains when atmospheric humidity is more.
- r. After fumigation use wet soil (paste of soil), sand Snakes around the warehouse /seed store doors / windows or the fumigation cover as per suitability so that the gas may not leak out. The proceedings of the entire fumigation should be completed within 20 minutes. After fumigation the warehouse/seed store or stacks should be kept for at least 72 hours at normal atmospheric pressure (NAP) and normal atmospheric temperature (NAT). Only open the warehouse in clear weather and after all the doors and windows are kept open for at least 4 hours.
- s. Inspect the warehouse from time to time in clear weather, and the condition of the seed should be checked by taking a little sample from the bags, rubbing them with the fingers across the stitches of the bags, check that there is no worm eggs on it.
- t. If insects appear in the seed, the fumigation should be done immediately and after one month the seed store will be fumigated again. Spraying should be done after every 15 days period. Special caution should be done from mid-July to mid-September, because it is the most outbreaks of pests in this period. Fumigation should be given only when the seed is at safe moisture level i.e. 12% moisture may be considered on the maximum level for fumigation also, seed with higher moisture should be dried to 12% before fumigation.
- u. The ideal conditions (dry and cool conditions) to prolong, the life of the seed prescribed for storage in which temperature around 15-18°C (60-65°F) and RH around 30-40% could be maintained throughout storage period. This is governed by a thumb rule i.e. Temp ° F + RH% should not exceed 100 \pm 5-10% at any time for better storage.
- v. Ensure that all balance stock which was left over after end of sale season must be revalidated before its expiry of validity period or before starting of its sale season.
- w. If seed recorded substandard during revalidation then it should be offered for condemnation immediately.
- x. After getting the disposal approval from HO the condemned stock should be disposed off immediately as per procedure of the corporation.
- y. The fresh packed seed stock and condemned seed stock should be stored in seed store separately to avoid any chance of cross contamination and infestation.

(5) During seed dispatched and seed receipt

- a. Ensure that physical inspection of seed stock should be done before its dispatch and prepare CPI and send to the concerned immediately.
- b. Ensure that physical examination of seed stock should be made within 3 days of its receipt and prepare CPE and send to the concerned.
- c. If there is a need of fumigation, drying, re-cleaning etc. to improve the physical quality of the seed, it should be done immediately in order to avoid poor quality seed complaints.
- d. Before selling any kind/ variety of seed, it should be ensured whether such variety is suitable/ recommended for that particular state or area or in that season in order to avoid problem of non-flowering and non-fruiting.

- e. The documents concerning dispatch of consignment lot wise to the authorized dealer should also kept in file.
- f. If any complaint is received from farmer or other user, a tripartite inspection of the field of the farmer should be got done by unit representative, farmer concerned and the representative from district Agriculture officer. Copy of of report should be kept in file.
- g. Further, the farmer or the complainant should be asked to produce copy of invoice issued by authorized dealer for sale of seed to such person.
- h. Legal Notice should be duly responded.
- i. The RO/AO/Farms should ensure that application may be filed by their advocate for compliance of S. 13(1) C of the consumer protection Act, 1986 regarding lab test of the goods (seeds) alleged to be defected by the complainant with the permission of Hon'ble DCF. In case the complainant farmer has not retained sample, the sample of same lot kept by NSC may be sent to lab with the permission of the DCF. Copy of the extract of S.13 (1) C of CPA has been placed opposite.

Prem Chand / Addl.GM (QC)

Regional Managers and Farm Directors are requested to ensure that the guidelines issued above by the QC Division must be followed in a proper way and the same should also be brought to the notice of all the concerned for compliance.

The above circular is issued with due approval of The Competent authority.

Copy for compliance

1- All RMs/Director Farms.

Copy to: For kind information.

- 1. SGM (P), NSC Delhi
- 2. SGM (F), NSC Delhi.
- 3. SGM (HR), NSC Delhi
- 4. Addl.GM(M), NSC Delhi
- 5. Addl.GM(HR), NSC Delhi
- 6. CVO, NSC Delhi
- 7. Company Secretary NSC Delhi
- 8. PS to Director (Finance) for kind information of Dir (F).
- 9. PS to CMD for kind information of CMD.

Central Government Act

Section 13(1)(c) in the Consumer Protection Act, 1986

(c) where the complaint alleges a defect in the goods which cannot be determined without proper analysis or test of the goods, the District Forum shall obtain a sample of the goods from the complainant, seal it and authenticate it in the manner prescribed and refer the sample so sealed to the appropriate laboratory along with a direction that such laboratory make an analysis or test, whichever may be necessary, with a view to finding out whether such goods suffer from any defect alleged in the complaint or from any other defect and to report its findings thereon to the District Forum within a period of forty-five days of the receipt of the reference or within such extended period as may be granted by the District Forum;